



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./243/13/२०१३

दिनांक 17.07.2013

परिपत्र

विषय: निविदा में मापदंडों को बार-बार बदलना।

सतर्कता विभाग द्वारा एक शिकायत की जांच के दौरान, यह पाया गया है कि एक इकाई द्वारा निविदा के मापदंडों में बार-बार परिवर्तन कर उसे रद्द किया गया। सक्षम प्राधिकारी के अनुसार, निविदा को बार-बार रद्द करना इकाई की असमर्थता का परिचायक है एवं विशेष परिस्थिति में इसमें सतर्कता दृष्टिकोण से देखा जा सकता है।

2. सक्षम प्राधिकारी ने इन विसंगतियों को गंभीरता पूर्वक लिया है। सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वह यह सुनिश्चित करें कि किसी भी खरीदारी में उसकी जरूरत एवं विनिर्देश (requirements and specifications) को समझकर ही निविदा को जारी करे तथा इन प्रावधानों का अनुपालन कड़ाई से करे। यदि भविष्य में इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन जारी रहता है तो इसे प्रथम दृष्टया दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा तथा इसे सतर्कता की दृष्टि से देखा जाएगा।

3. इस परिपत्र का व्यापक प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(एस. एस. बालानी)

वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी

महाप्रबंधक,

टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना/निगम मुख्यालय,

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि.।

प्रतिलिपि: 1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के विशेष कर्तव्य अधिकारी।

2. निदेशक (मानव संसाधन/तकनीकी)/मुख्य सतर्कता अधिकारी (प्रभारी)।

3. सभी उप महाप्रबंधक (निगम मुख्यालय)।

4. सभी सतर्कता कार्यपालक/कर्मचारी।

5. सूचना पटल।